न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 40/2025

अनवान : –

1. निरमल सिंह पुत्र जन्टासिंह जाति जटसिख साकिन सोती पड़ीहारी हाल बुर्ज ढीलवा तहसील व जिला मान्सा (पंजाब)।

– प्रार्थी

बनाम्

1. आरिफ मोहम्मद टाक पुत्र महबूब अली जाति कलाल (टाक) साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. सुरेन्द्र पुत्र गौरी शंकर जाति जाट साकिन उज्जलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. गुरचरण सिंह पुत्र नाहरसिंह जाति जटसिख साकिन बुर्ज ढ़ीलवा तहसील व जिला मान्सा (पंजाब)
4. जरनेजसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति जटसिख साकिन बुर्ज ढ़ीलवा तहसील व जिला मान्सा (पंजाब)
5. जसवंन्तसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति जटसिख साकिन बुर्ज ढ़ीलवा तहसील व जिला मान्सा (पंजाब)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
7. उप पंजियक नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

– अप्रार्थीगण

8. चान्दकौर पत्नी नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह जाति जटसिख साकिन सोती पड़ीहारी हाल बुर्ज ढीलवा तहसील व जिला मान्सा (पंजाब)
9. तरणजीतकौर पत्नी जन्टासिंह जाति जटसिख साकिन सोती पड़ीहारी हाल बुर्ज ढीलवा तहसील व जिला मान्सा (पंजाब)
10. रणजीतकौर पुत्री जन्टासिंह जाति जटसिख साकिन सोती पड़ीहारी हाल बुर्ज ढीलवा तहसील व जिला मान्सा (पंजाब)

– तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता **सायल**
श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक: 29/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मोजा चक न. 14 बारानी तहसील नोहर के प.न. 330/438 (98) कि. न. 6/1 की 0.0380, 6/2 की 0.2150, 15/1 की 0.0380, 15/2 की 0.2150, 16/1 की 0.0380, 16/2 की 0.2150, 25/1 की 0.0380, 25/2 की 0.2150 प.न. 331/437 (94) कि.न. 21 ता 22 की 0.5060 प.न. 331/438 (97) कि.न. 1/1 की 0.0250, 1/2 की 0.2280, 2/1 की 0. 0250, 2/2 की 0.2280, 3/1 की 0.0250, 3/2 की 0.2280, 4/1 की 0.0250, 4/2 की 0. 2280, 5/1 की 0.0250, 5/2 की 0.2280, 6 ता 25 की 5.0600 प.न. 332/438 (96) कि.न. 1, 2, 9 ता 13, 17 ता 24 की 3.7950 कुल 11. 6380 हैक्टेयर भूमि में सायल एवं तरतिबी गैरसायल न. 8 ता 10 ब.हि.ब. 1/9 हिस्सा गैरसायल न. 1 ता 2 ब.हि.व. 1/18 हिस्सा गैरसायल न. 3 ता 5 ब.हि.ब. 1/6 हिस्सा के खातेदार कास्तकार है।

सायल एवं गैरसायल न. 1 ता 5 व 8 ता 10 अपने हक व हिस्सा की भूमि को कास्त करते एवं रकम राज अदा करते आ रहे हैं। विवादित्त भूमि में नरसिंह, नारसिंह, गुरदयालसिंह

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पिसरान् देवीसिंह ब.हि.न. 1/6 हिस्सा एवं नरसिंह, नाजरसिंह, गुरदयालसिंह पिसरान् देवीसिंह ब.हि.ब. 1/6 हिस्सा दर्ज था यानि कुल भूमि में 1/3 हिस्सा था लेकिन जमाबन्दी सम्वत 2042 चक 14 बारानी तैयार करते समय नरसिंह, नाजरसिंह, गुरदयालसिंह पिसरान् देवीसिंह ब.हि.ब. 1/6 हिस्सा के स्थान पर नरसिंह, गुरदयालसिंह पिसरान् देवीसिंह ब.हि.ब. 1/6 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जिसमें नाजरसिंह पुत्र देवीसिंह का नाम दर्ज होने से रह गया उसके बाद जमांबन्दी में अंकन इसी अनुसार चलता रहा। नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह फोत हो गया जिसके जायज वारीस गैरसायला न. 8 चन्दकौर पत्नी नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह, जन्टासिंह, गुरदेवसिंह, चगड़सिंह पुत्रगण नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह ही हैं जिसमें जन्टासिंह, गुरदेवसिंह, चगड़सिंह पुत्रगण नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह फोत हो गये जन्टासिंह के जायज वारीस सायल एवं तरतिबी गैरसायल न. 9 ता 10 ही हैं एवं गुरदेवसिंह, चगड़सिंह पुत्रगण नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह लावल्द फोत हो गये है जिसकी जायज वारीस उनकी माता गैरसायला न. 8 चन्दकौर पत्नी नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह ही है। गुरदयालसिंह पुत्र देवीसिंह फोत हो गया जिसका हिस्सा मुताबिक वसीयत अपने भाई के लड़के सरजीतसिंह, जसवन्तसिंह, गुरचरणसिंह, जरनैल सिंह, बलजीत्तसिंह पुत्रगण नाहरसिंह के नाम दर्ज हो गया बलजीतसिंह पुत्र नाहरसिंह लावल्द फोत हो गया नरसिंह पुत्र देवीसिंह फोत हो गया जिसके जायज वारीस गैरसायल न. 3 ता 5 एवं सरजीतसिंह पुत्र नरसिंह ही है। विवादित भूमि में नारसिंह उर्फ नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह के वारीस सायल एवं तरतीबी गैरसायल न. 8 ता 10 ब.हि.ब. 1/9 हिस्सा के हकदार हुए एवं नरसिंह उर्फ नाहरसिंह के वारीस गैरसायल न. 3 ता 5 एवं सरजीतसिंह ब.हि.ब. 2/9 हिस्सा के हकदार हुए लेकिन जमांबन्दी में नाजरसिंह पुत्र देवीसिंह का 1/18 हिस्सा में नाम दर्ज होने से रह गया जिसके कारण नारसिंह उर्फ नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह के वारीसो के नाम 1/18 हिस्सा दर्ज हो गया एवं नरसिंह उर्फ नाहरसिंह के वारीस गैरसायल न. 3 ता 5 एवं सरजीतसिंह के नाम ब.हि.ब. 5/18 हिस्सा दर्ज हो गया जो हक से ज्यादा दर्ज होने के कारण सायल एवं तरतिबी गैरसायल न. 8 ता 10 के हकूक के मुकाबले शुन्य एवं प्रभावहीन है जिसे सायल शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित करवाकर विवादित भूमि में सायल एवं गैरसायल न. 8 ता 10 ब.हि.ब. 1/9 हिस्सा के एवं नरसिंह उर्फ नाहरसिंह के वारीस गैरसायल न. 3 ता 5 एवं सरजीतसिंह ब.हि.ब. 2/9 हिस्सा के खातेदार कास्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है।

सरजीतसिंह पुत्र नरसिंह उर्फ नाहरसिंह विवादित भूमि में 1/18 हिस्सा का हकदार हुआ लेकिन साजिसाना कार्यवाही कर गुपचुप तरिके से राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत अंकन के आधार पर 5/72 हिस्सा का बैयनामा दिनांक 13–3–2024 को उपपंजियक कार्यालय नोहर में प्रतिवादी न. 1 ता 2 के पक्ष में तस्दीक करवा दिया जो हक व हिस्सा से ज्यादा भूमि का होने के कारण सायल एवं तरतिबी गैरसायल न. 8 ता 10 के हकूक के मुकाबले शून्य एवं प्रभावहीन है जिसे हक से ज्यादा भूमि तक शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करवा कर सायल एवं तरतिबी गैरसायल न. 8 ता 10 अपने हक व हिस्सा की घोषणा करवा कर विवादित भूमि में अपने 1/9 हिस्सा अपने नाम अमल दरामद करवाने के अधिकारी है। सरजीतसिंह पुत्र नरसिंह उर्फ नाहरसिंह ने साजिसाना कार्यवाही कर गुपचुप तरिके से विवादित भूमि में से 5/72 हिस्सा का बैयनामा दिनांक 13–3–2024 को गैरसायल न. 1 ता 2 ने अपने पक्ष में उपपंजियक कार्यालय नोहर में तस्दीक करवा दिया एवं उसका राजस्व रिकार्ड में अंकन हो चुका है जिसका नाजायज फायदा उठाने के लिए गैरसायल न. 1 ता 5 विवादित भुमि को रहन बैय एवं मुतकिल करने की सरेआम धमकी देते है यदि गैरसायल न. 1 ता 5 अपने उक्त मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायल

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

एवं तरतिबी गैरसायल न. 8 ता 10 को भारी नुकसान होता है जिसकी पूर्ति बाद में किसी प्रकार से सभंव नहीं है इसलिये सायल, गैरसायलान के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र मयं शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि गैरसायलान के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की जारी कि जावे कि वोह विवादित भूमि रोही मोजा चक न. 14 बारानी तहसील नोहर के प.न. 330/438 (98) कि.न. 6/1 की 0.0380, 6/2 की 0.2150, 15/1 की 0.0380, 15/2 की 0.2150, 16/1 की 0.0380, 16/2 की 0.2150, 25/1 की 0.0380, 25/2 की 0.2150 प.न. 331/437 (94) कि.न. 21 ता 22 की 0.5060 प.न. 331/438 (97) कि.न. 1/1 की 0. 0250, 1/2 की 0.2280, 2/1 की 0.0250, 2/2 की 0.2280, 3/1 की 0.0250, 3/2 की 0.2280, 4/1 की 0.0250, 4/2 की 0.2280, 5/1 की 0.0250, 5/2 की 0.2280, 6 ता 25 की 5.0600 प.न. 332/438 (96) कि.न. 1, 2, 9 ता 13, 17 ता 24 की 3.7950 कुल 11.6380 हैक्टेयर भूमि को रहन बैय एवं मुंतकिल ना करे एवं विवादित भूमि कि मोका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 39/35 की कुल 11.6380 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की सायल ने नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह अपने पिता का नाम गलत अंकित किया है उसके पिता नाजरसिंह है नर उर्फ नाहर सिंह पुत्र देवीसिंह गैरसायान के पिता का नाम है तथा सायल अपने पिता का नाम उर्फ लगाकर गैरसायलान की भूमि हड़प करना चाहता है। सायल का उक्त भूमि में 1/18 हिस्सा था जो की सही तौर से दर्ज किया गया है। सुरजीत सिह पुत्र नरसिंह उर्फ नाहरसिंह द्वारा करवाया गया बैयनामा दिनांक 13.03.2024 साधिकार है अतः जवाब प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की विवादित्त भूमि में नरसिंह, नारसिंह, गुरदयालसिंह पिसरान् देवीसिंह ब.हि.न. 1/6 हिस्सा एवं नरसिंह, नाजरसिंह, गुरदयालसिंह पिसरान् देवीसिंह ब.हि.ब. 1/6 हिस्सा दर्ज था यानि कुल भूमि में 1/3 हिस्सा था लेकिन जमाबन्दी सम्वत 2042 चक 14 बारानी तैयार करते समय नरसिंह, नाजरसिंह, गुरदयालसिंह पिसरान् देवीसिंह ब.हि.ब. 1/6 हिस्सा के स्थान पर नरसिंह, गुरदयालसिंह पिसरान् देवीसिंह ब.हि.ब. 1/6 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जिसमें नाजरसिंह पुत्र देवीसिंह का नाम दर्ज होने से रह गया उसके बाद जमांबन्दी में अंकन इसी अनुसार चलता रहा। नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह फोत हो गया जिसके जायज वारीस गैरसायला न. 8 चन्दकौर पत्नी नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह, जन्टासिंह, गुरदेवसिंह, चगड़सिंह पुत्रगण नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह ही हैं जिसमें जन्टासिंह, गुरदेवसिंह, चगड़सिंह पुत्रगण नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह फोत हो गये जन्टासिंह के जायज वारीस सायल एवं तरतिबी गैरसायल न. 9 ता 10 ही हैं एवं गुरदेवसिंह, चगड़सिंह पुत्रगण नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह लावल्द फोत हो गये है जिसकी जायज वारीस उनकी माता गैरसायला न. 8 चन्दकौर पत्नी नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह ही

Lalu
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है। गुरदयालसिंह पुत्र देवीसिंह फोत हो गया जिसका हिस्सा मुताबिक वसीयत अपने भाई के लड़के सरजीतसिंह, जसवन्तसिंह, गुरचरणसिंह, जरनैल सिंह, बलजीत्तसिंह पुत्रगण नाहरसिंह के नाम दर्ज हो गया बलजीतसिंह पुत्र नाहरसिंह लावल्द फोत हो गया नरसिंह पुत्र देवीसिंह फोत हो गया जिसके जायज वारीस गैरसायल न. 3 ता 5 एवं सरजीतसिंह पुत्र नरसिंह ही है। विवादित भूमि में नारसिंह उर्फ नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह के वारीस सायल एवं तरतीबी गैरसायल न. 8 ता 10 ब.हि.ब. 1/9 हिस्सा के हकदार हुए एवं नरसिंह उर्फ नाहरसिंह के वारीस गैरसायल न. 3 ता 5 एवं सरजीतसिंह ब.हि.ब. 2/9 हिस्सा के हकदार हुए लेकिन जमांबन्दी में नाजरसिंह पुत्र देवीसिंह का 1/18 हिस्सा में नाम दर्ज होने से रह गया जिसके कारण नारसिंह उर्फ नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह के वारीसो के नाम 1/18 हिस्सा दर्ज हो गया एवं नरसिंह उर्फ नाहरसिंह के वारीस गैरसायल न. 3 ता 5 एवं सरजीतसिंह के नाम ब.हि.ब. 5/18 हिस्सा दर्ज हो गया जो हक से ज्यादा दर्ज होने के कारण सायल एवं तरतिबी गैरसायल न. 8 ता 10 के हकूक के मुकाबले शुन्य एवं प्रभावहीन है जिसे सायल शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित करवाकर विवादित भूमि में सायल एवं गैरसायल न. 8 ता 10 ब.हि.ब. 1/9 हिस्सा के एवं नरसिंह उर्फ नाहरसिंह के वारीस गैरसायल न. 3 ता 5 एवं सरजीतसिंह ब.हि.ब. 2/9 हिस्सा के खातेदार कास्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण के नाम हक से ज्यादा भूमि दर्ज होने के कारण रहन, बेय करना चाहते है इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया की सायल ने नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह अपने पिता का नाम गलत अंकित किया है उसके पिता नाजरसिंह है नर उर्फ नाहर सिंह पुत्र देवीसिंह गैरसायान के पिता का नाम है तथा सायल अपने पिता का नाम उर्फ लगाकर गैरसायलान की भूमि हड़प करना चाहता है। सायल का उक्त भूमि में 1/18 हिस्सा था जो की सही तौर से दर्ज किया गया है। सुरजीत सिह पुत्र नरसिंह उर्फ नाहरसिंह द्वारा करवाया गया बैयनामा दिनांक 13.03.2024 साधिकार है अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक रोही मौजा 14 बारानी के जमाबंदी सम्वत 2042 की जमाबंदी में नरसिंह, गुरदयाल सिह पि0 देवीसिंह के नाम बहिब 1/6 हिस्सा दर्ज है एवं इसके पूर्व के रिकार्ड में नरसिंह, नारसिंह, गुरदयाल पि0 देवीसिंह के नाम बहिब 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज है यानि की नारसिंह के नाम दर्ज नही है। अप्रार्थी का कथन है कि सायल ने नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह अपने पिता का नाम गलत अंकित किया है उसके पिता नाजरसिंह है नर उर्फ नाहर सिंह पुत्र देवीसिंह गैरसायान के पिता का नाम है तथा सायल अपने पिता का नाम उर्फ लगाकर गैरसायलान की भूमि हड़प करना चाहता है। सायल का उक्त भूमि में 1/18 हिस्सा था जो की सही तौर से दर्ज किया गया है उक्त बिन्दु मुल वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय किया जाना न्यायोचित है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

साबित होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म नही की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थीगण कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि प्रार्थीया के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 39/35 की कुल 11.6380 हैक्ट भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 29/05/26 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर